भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

15.12.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2961 का उत्तर

स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की योजना

2961. श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भगवंत मान:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित देशभर में स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की योजना के कार्यान्वयन का कार्य रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इन चयनित स्टेशनों में और इसके आसपास खाली भूमि/एयर स्पेस के वाणिज्यिक विकास का लाभ उठाकर देश में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में नवीनीकरण और पुनर्विकास के लिए कितने स्टेशनों पर विचार किया जा रहा है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा क्या नई पहल/कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की योजना के संबंध में 15.12.2021 को लोक सभा में श्री भोला सिंह, डॉ. सुकान्त मजूमदार, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री भगवंत मान, श्री राजा अमरेश्वर नाईक और डॉ. जयंत कुमार राय के अतारांकित प्रश्न सं. 2961 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) से (च): जी हां। सरकार ने स्टेशनों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों सहित देशभर के रेलवे स्टेशनों को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपा है।

दो स्टेशनों अर्थात् गांधीनगर राजधानी (गुजरात), रानी कमलापती रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) को विकसित और यातायात के लिए खोल दिया गया है। सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (बैंगलूरू) कमीशनिंग के लिए तैयार है। पांच स्टेशनों अर्थात् अयोध्या, सफदरजंग, बिजवासन, गोमतीनगर और अजनी पर कार्य चालू हैं। अन्य स्टेशनों पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं।

विकसित स्टेशनों में प्रस्तावित विशेषताएं जिनमें स्टेशन परिसरों के लिए भीड़ मुक्त गैर-टकराव प्रवेश/निकासी, यात्रियों के आगमन/प्रस्थान का पृथक्करण, बिना किसी भीड़-भाड़ के पर्याप्त कॉनकोर्स, शहर के दोनों ओर तथा परिवहन प्रणाली के अन्य साधनों अर्थात् बस, मेट्रो, आदि जहां भी संभव हो, का एकीकरण, उपयोगकर्ता हितैषी अंतर्राष्ट्रीय साइनेज, अच्छी तरह से जगमगाता परिचलन क्षेत्र और ड्राप-ऑफ, पिक-अप एवं पार्किंग आदि के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं।

रेल मंत्रालय विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए विभिन्न संभावनाएं खोज रहा है।

तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल के छह स्टेशन, उत्तर प्रदेश के बारह स्टेशन और पंजाब के चार स्टेशन आरएलडीए को सौंपे गए हैं।

आरएलडीए विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है/पहल कर रही है।

*****